न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2023

अपीलांट –

1. महेन्द्रसिंह पुत्र उदा
2. हुकमसिंह पुत्र उदा
3. श्रीमती भागी देवी पत्नी उदा
   जाति रावणा राजपूत निवासी
   धाधलावास तहसील
   गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र धर्मेन्द्रसिंह
2. सुआ देवी पत्नी धर्मेन्द्रसिंह
3. पूनमसिंह पुत्र छगना
4. गणतपसिंह पुत्र छगना
5. बाबूसिंह पुत्र छगना
6. लुणसिंह पुत्र छगना
7. सोहन सिंह पुत्र छगना
8. सुरता पुत्र रखा (फौत) के कायम मुकाम
   8/1 केसरसिंह पुत्र सुरता
   8/2 रूगनाथसिंह पुत्र सुरता
   8/3 हरूसिंह पुत्र सुरता
   8/4 गजसिंह पुत्र सुरता
   8/5 सुआ देवी पत्नी सुरता जाति रावणा राजपूत निवासी धाधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 654 दिनांक 25.07.2023 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता रेस्पों संख्या 02 से 07 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पों बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 9 प्रफॉर्मा पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम धांधलावास तहसील गुड़ामालानी के नामान्तरकरण स. 654 पर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा धांधलावास तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 188 / 2 रकबा 1–0279 हैक्टेयर, खसरा नंबर 208 / 189 रकबा 2–9137 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 188 रकबा 4–2654, खसरा संख्या 200 / 1 रकबा 3–5127 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। अपीलांट्स द्वारा वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुड़ामालानी में बमुकदमा संख्या 49 / 2020 अनवान महेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2020 के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के उक्त निर्णय दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर उतरदातागण ने एक अपील 70 / 2020 अनवान लक्ष्मणसिंह बनाम महेन्द्रसिंह माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 20.07.2023 से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2023 को अपास्त कर पुनः सुनवाई के निर्देश के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 654 दिनांक 25.07.2023 पारित कर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई। अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07.2023 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से प्रकट किया कि मौजा धांधलावास तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 188 / 2 रकबा 1–0279 हैक्टेयर खसरा नंबर 208 / 189 रकबा 2–9137 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 188 रकबा 4–2654, खसरा संख्या 200 / 1 रकबा 3–5127 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। अपीलांट्स द्वारा इसी आराजी में खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रेकर्ड में अपने नाम को अंकन करने खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने हेतु एक वाद विद्वान सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के न्यायालय मे पेश किया, जो वाद संख्या 49 / 2020 अनवान महेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह से दर्ज हुआ तथा बाद पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 डिक्री उक्त वाद मे वादी के रूप मे संयोजित कर अपीलांट्स के पक्ष मे तमाम रेकर्ड खातेदार दर्ज हुआ। इसके विरूद्व उतरदातागण द्वारा अपील 70 / 2020 अनवान लक्ष्मणसिंह बनाम महेन्द्रसिंह माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका आदेश दिनांक 20.07.2023 को स्वीकार कर इसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 25.07.2023 पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से 7 की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के आदेश के अनुसरण नामान्तरकरण भरा गया है ऐसे में जब तक न्यायालय निर्णय अपास्त नहीं हो जाता हैं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण कतई चुनौती योग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट की यह अपील खारिज योग्य है।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा धांधलावास तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 188 / 2 रकबा 1–0279 हैक्टेयर, खसरा नंबर 208 / 189 रकबा 2–9137 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 188 रकबा 4–2654, खसरा संख्या 200 / 1 रकबा 3–5127 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। अपीलांट्स द्वारा वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुड़ामालानी में बमुकदमा संख्या 49 / 2020 अनवान महेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2020 के अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज [illegible] कलक्टर गुड़ामालानी के उक्त निर्णय दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर उतरदातागण ने एक अपील 70 / 2020 अनवान लक्ष्मणसिंह बनाम महेन्द्रसिंह माननीय राजस्व अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 20.07.2023 से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2023 को अपास्त कर पुनः सुनवाई के निर्देश के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 654 दिनांक 25.07.2023 पारित कर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई। अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07.2023 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के न्यायालय मे पेश किया, जो वाद संख्या 49/2020 अनवान महेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह से दर्ज हुआ तथा बाद पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 डिक्री उक्त वाद मे वादी के रूप मे संयोजित कर अपीलांट्स के पक्ष मे तमाम रेकर्ड खातेदार दर्ज हुआ। इसके विरूद्व उतरदातागण द्वारा अपील 70/2020 अनवान लक्ष्मणसिंह बनाम महेन्द्रसिंह माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका आदेश दिनांक 20.07.2023 को स्वीकार कर इसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 654 दिनांक 25.07. 2023 पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से 7 की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के आदेश के अनुसरण नामान्तरकरण भरा गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारिज योग्य है। हमने अधिवक्ता पक्षकारान को सुना व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि उतरदातागण द्वारा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के आदेश की अनु[illegible] गुड़ामालानी के समक्ष धारा 144 सी.पी.सी. आवेदन प्रस्तुत किये बिना सीधे ही तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आदेश विधिसम्मत पारित नहीं किया है और न ही पक्षकारान को सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवसर प्रदान किया गया हैं। जबकि अधिवक्ता अपीलांट के अनुसार प्रकरण में विवाद अभी भी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष विचाराधीन हैं। इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के आदेश की अनुपालना में आदेश क्रमांक :भू0अ0/2023/990 दिनांक 24.07.2023 पारित कर पटवारी हल्का नगर को नामान्तरकरण दायर करने के निर्देश जारी किये गये है जो क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त करने के काबिल है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 654 पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2023 पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा आदेश क्रमांक :भू0अ0/2023/990 दिनांक 24.07.2023 एवं उसके अनुसरण मौजा धांधलावास के नामान्तरकरण सं. 654 पर पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं पक्षकारान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उल्लेखित राजस्व वाद सं. 70/2020 में वर्तमान स्थिति रेकर्ड पर लेकर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करावें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested